न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 239/2025 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. भोजराजसिंह पुत्र करतुरसिंह 2. कानसिंह पुत्र समरथसिंह 3. हेमसिंह पुत्र समरथसिंह जाति राजपुत, निवासी आगोरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. छगन कंवर पत्नी उगमसिंह 3. नैन कंवर पत्नी हड़वंतसिंह 4. प्रकाश कंवर पत्नी ठाकरसिंह 5. माया कंवर पत्नी रेवंतसिंह जाति राजपुत, निवासी आगोरिया तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. चूनाराम पुत्र बुधाराम 7. जूजाराम पुत्र बुधाराम 8. जुंझारसिंह पुत्र दानाराम 9. ठाकराराम पुत्र दानाराम जाति जाट, निवासी चवा (रावतसर) तहसील व जिला बाड़मेर

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीगण :— श्री अभयसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 12.09.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा आगोरिया, तहसील शिव के खसरा नम्बर 22 रकबा 19.7486 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 से 9 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 139/22 रकबा 19.4249 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी का पूर्व में मूल खसरा नम्बर 22 का विभाजन होने पर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया। प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रहवासी ढाणी व कृषि ट्यूबवेल आदि बने हुए है। वर्तमान में सेग्रीगेशन अभियान के दौरान उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी के कब्जा काश्त व मौका स्थिति की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एंव रहवासी ढाणियां एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी मौके पर कब्जा काश्त की तरमीम लट्ठा नक्शा में विप्रार्थीगण के कब्जा में आ रही है तथा विप्रार्थीगण की तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में आ रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं करने पर मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर खसरा नम्बर 22 के स्थान पर खसरा नम्बर 139/22 के खातेदारान् का कब्जा काश्त आ रहा है तथा खसरा नम्बर 139/22 के स्थान पर खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
शिव

खातेदारान् का वास्तविक कब्जा काश्त आ रहा है। मौके पर खातेदारान् के अपने अपने कब्जा काश्त में रहवासी ढाणी व झोंपे बने हुए है तथा तारबंदी की हुई है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं करने पर मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर खसरा नम्बर 22 के स्थान पर खसरा नम्बर 139/22 के खातेदारान् का कब्जा काश्त आ रहा है तथा खसरा नम्बर 139/22 के स्थान पर खसरा नम्बर 22 के खातेदारान् का वास्तविक कब्जा काश्त आ रहा है। मौके पर खातेदारान् के अपने अपने कब्जा काश्त में रहवासी ढाणी व झोंपे बने हुए है तथा तारबंदी की हुई है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उपस्थित खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा आगोरिया, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 22 रकबा 19.7486 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 9 के खेत खसरा नम्बर 139/22 रकबा 19.4249 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 12:03:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 12.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)